न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–93 सन् 2005

राजेन्द्र प्रसाद.....वादी।

बनाम

गणेश शर्मा व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 24.01.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य हेतु नियत चला आ रहा था तथा दिनांक 22.11.2023 को प्रतिवादी साक्षी नहीं था चूंकि प्रतिवादी गणेश शर्मा को ही साक्ष्य देना था और उनको डेंगू बुखार से पिड़ित होने के कारण साक्ष्य देने हेतु नहीं आ सके। इसी आशय का समयावेदन दिया गया था। प्रतिवादी के अधिवक्ता के चचेरे भाई का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने पर प्रतिवादी अधिवक्ता अस्पताल लेकर चले गए जिसके चलते कुछ विलंब हो गया और न्यायालय आने पर पता चला कि उनका साक्ष्य बंद कर दिया गया। प्रतिवादी का साक्ष्य अभी बंद नहीं हुआ है और प्रतिवादी जानबूझकर गलती नहीं किया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 22.11.2023 के आदेश को रिकॉल कर प्रतिवादी को साक्ष्य देने हेतु मौका देने की कृपा किया जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 24.01.2024 को दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन पोषणीय नहीं है, बल्कि काबिले खारिज के है। प्रतिवादी का साक्ष्य वर्ष 2020 से चल रहा है तथा वाद को लिंगर करने के ख्याल से मुकदमा को डिले कर रहे हैं। प्रतिवादी बीमारी का बहाना बनाकर वाद को लिंगर करना चाहते हैं तथा अभिलेख पर को प्रमाण पत्र भी दाखिल नहीं किया है। जिसके कारण प्रतिवादी का उपरोक्त आवेदन मंजूर होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2022 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2023 को रिकॉल करने तथा अपना साक्ष्य पूर्ण करने हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि डेंगू बुखार

हो जाने के कारण तथा अधिवक्ता के चचेरे भाई का तबियत खराब हो जाने के कारण न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हो सके। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु मौका दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2023 को 500/—रूपये खर्चा के साथ रिकॉल करते हुए प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी खर्च की राशि वादी को प्रदान करे तथा अपना साक्ष्य नियत दो तिथियों में पूर्ण करें।

वाद दिनांक.....को प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।